



A Maharatna Company

सिंगरौली
SINGRAULI

सं० सं० : 031/मा० सं०/क०सं०/सं०श्र०/2026/01

दिनांक : 02.04.2026

परिपत्र

विषय: न्यूनतम मजदूरी की संशोधित लागू दरें दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत CLC (केन्द्रीय), अधिसूचना पत्र संख्या F.No. 1/6(3)/2025-LS-II दिनांक 30.03.2026 के माध्यम से प्राप्त अधिसूचना के अनुसार संविदा श्रमिकों को दिये जाने वाली मजदूरी की दर को श्रम मंत्रालय और मुख्य श्रम आयुक्त (सी), नई दिल्ली के रोजगार कार्यालय द्वारा ए आई सी पी आई (AICPI) के आधार पर संशोधित किया गया है जो क्रमशः **01.04.2026** से प्रभावी होंगे।

संशोधित/ पुनरीक्षित देयदर दिनांक 01.04.2026 से निम्नवत है :-

प्रभावी देय पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी (क्षेत्र सी) प्रति दिन (रु.)	
श्रेणी	नयी संशोधित दर लागू दिनांक 01.04.2026 से
अकुशल/USW	556/-
अर्धकुशल/SSW	650/-
कुशल/SW	781/-
अतिकुशल/HSW	918/-

अन्य नियम व शर्तें यथावत रहेंगी। इस संबंध में सभी संविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी का भुगतान उपलिखित तालिका के अनुसार करें। मजदूरी घटक में वृद्धि की राशि के भुगतान को अप्रैल 2026 की मजदूरी के साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

परिपत्र को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

(शाश्वत रंजन मिश्रा)
प्रबन्धक (मानव संसाधन)

वितरण :

- कार्यपालक सचिव, कार्यकारी निदेशक (सिंगरौली)- महोदय के सादर सूचनार्थ
- महाप्रबंधक (प्रचालन एवं अनुरक्षण), महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट)
- सभी विभागाध्यक्ष
- सभी प्रभारी अभियंता एवं उनके प्रतिनिधि – अपने अधीनस्थ संविदाओं में लागू कराने हेतु।
- सतर्कता विभाग
- व्यापक प्रसार के लिए सिंगरौली इंटरनेट
- नोटिस बोर्ड
- विषय फ़ाइल